न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–शंकरलाल सालवी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –170/2017 वाद दिनांक : 21–10–2019

उनवान

लक्ष्मण सिहं पिता मांगूसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ ,राजस्थान

.....वादी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ (राज)
3. मिठुसिहं पिता मांगूसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–श्री सूरपालसिहं वकील वादी
पैरोकार सरकार प्रतिनिधि विपक्षी संख्या 1 व 2

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादी की गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ तहसील भदेसर में साबिक खाता संख्या 295 में अंकित आराजी नम्बर 637/1 रकबा 5 बीघा लगान 5.00 रूपये स्थित है जिस पर वादी काबिज होकर बहैसियत गैर खातेदार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 एवं वर्तमान जामाबन्दी आधार वर्ष व नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है ।
2. यह कि मौजा नाहरगढ तहसील भदेसर का वर्ष 2010–2011 में भू प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा भू प्रबन्ध किया गया भू प्रबन्ध के दरम्यिान वादीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 637/1 रकबा 5 बीघा स्थित है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है लेकिन भू

Scanned by CamScanner

प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा दौरानें भू प्रबन्ध वादी का नाम गेर खातेदारी से बिना किसी विधिक कारण के विलोपित करते हुए उक्त आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये जिसके आराजी नम्बर 787 रकबा 4.51 हैक्टैयर बने है जबकि वादी मौके पर साबिक रेकार्ड अनुसार कबिज होकर काश्त कर रहा है भू प्रबन्ध अधिकारियो को राजस्व रेकार्ड में इस तरह का परिवर्तन करने का अधिकार कदापि नहीं है फिर भी वादी की आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर वादी को भारी नुकसान पंहुचाया है इसलिए पुनः उक्त आराजीयात के साबिक रेकार्ड अनुसार वादी के खाते गें दर्ज करने हेतु वाद पत्र घोषणात्मक डिक्री हेतु पेश किया है ।

3. यह कि भू प्रबन्ध से पूर्व ही उक्त आराजीयात वादी के गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध अधिकारियों को वादी की उक्त आराजीयात को बिलानाम कर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को नवीन नम्बर आ0न0 787 रकबा 4.51 हैक्टेयर में से 5 बीघा भूमि को पुनः वादी के नाम दर्ज करा पूर्वाअनुसार रकबा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी होने से वाद पत्र वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती पेश है ।

4. यह कि विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट के पूर्व वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं वर्तमान में भी आराजीयात वादी के कब्जे काश्त में है फिर भी ऐसा परिवर्तन भू प्रबन्ध अधिकारियों ने किया है जो गलत है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें ना ही उक्त कृत्य अपने किसी नौकर एजेन्ट या अधिनस्थ कर्मचारियों से करावें तदर्थ यह वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश है ।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हे वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय सपथ पत्र के पैश है।

6. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 17.08.2017 को विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की रिपोर्ट करने से पैदा

Scanned by CamScanner

होकर निरन्तर जारी है जिरासे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गए ।

राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर स्थिति रिकार्ड पर लिये जाने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार भदेसर द्वारा जरिये पत्रांक 122 दिनांक 30.05.2018 से प्रस्तुत की गई कि :– ग्राम नाहरगढ की साबिक आराजी नम्बर 637/1 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 802 रकबा 0.23 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 789 रकबा 0.12 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 788 रकबा 0.56 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 787 रकबा 0.35 हैक्टैयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर बने है जो नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये है । आराजी नम्बर 802 का कुल रकबा 0.37 हैक्टैयर होकर बिलानाम सरकार , आराजी नम्बर 787 का कुल रकबा 4.51 हैक्टैयर होकर बिलानाम सरकार , आराजी नम्बर 789 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर रास्ता होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आराजी नम्बर 788 का कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर होकर मिठुसिहं पिता मांगूसिहं राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करते हुए निवेदन किया गया कि कमीशनरी रिपोर्ट को ही जवाब दावा माना जावे ।

प्रकरण में वादोत्तर प्रस्तुत नही होने से वाद बिन्दु कायम नही किये गये ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता सख्या 1 आधार वर्ष प्रदर्श–2
3. नक्शा ट्रेस साबिक प्रदर्श–3 एवं नवीन नक्शा ट्रेस
4. नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता सख्या 275 संवत् 2043–2046 प्रदर्श–4
5. नकल नामान्तरकरण संख्या 369 दिनांक 21.02.83 मौजा नाहरगढ प्रदर्श–5
6. नक्शा ट्रेस सेटलमेन्ट से पूर्व का प्रदर्श–6
7. शपथ पत्र श्री लालूराम पिता शंकर भील निवासी हट्टीपुरा
8. शपथ पत्र श्री लक्ष्मणसिहं पिता मांगूसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ
9. जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता संख्या 1 संवत् 2072–2075
10. नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता संख्या 213 संवत् 2072–2075

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रदर्श–4 एवं प्रदर्श–5 पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वादी के नाम दर्ज मौजा नाहरगढ की आ0न0 637/1 रकवा 05 बीघा भूमि वादी के गैर खातेदारी हक से दर्ज थी कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 637/1 रकवा 05 बीघा के भू प्रबन्ध से नवीन कायम आराजी नम्बर 802 रकवा 0.23 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 789 रकबा 0.12 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 788 रकबा 0.56 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 787 रकबा 0.35 हैक्टैयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर बने है । आराजी नम्बर 802 का कुल रकबा 0.37 हैक्टैयर होकर बिलानाम सरकार , आराजी नम्बर 787 का कुल रकबा 4.51 हैक्टैयर होकर बिलानाम सरकार , आराजी नम्बर 789 का कुल रकबा 0.42 किस्म रास्ता होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आराजी नम्बर 788 का कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर होकर मिठुसिहं पिता मांगूसिहं राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड उक्त प्रकार से वादी के नाम दर्ज 05 बीघा भूमि का राजस्व रेकार्ड से अकारण ही विलोपन करते हुए नक्शा ट्रेंस में भी अशुद्वि करते हुए साबिक आराजी नम्बर 637/1 एवं 637/2 जिसका साबिक नक्शा ट्रेस में आडे रूप में अंकन किया हुआ है किन्तु भू प्रबन्ध में उक्त आराजीयात को खडे रूप में दर्शाया गया है । आराजी नम्बर 637/1 के बनने वाले साबिक कब्जे काश्त वाले नवीन आराजी नम्बर 802 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.23 हैक्टैयर बिलानाम है , आराजी नम्बर 789 कुल रकबा 0.42 हैक्टैयर बिलानाम रास्ता दर्ज होकर सा0नि0वि0 के नाम दर्ज है , आराजी नम्बर 788 का कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर में 0.56 हैक्टेयर वादी के बाकी मिठूसिहं के नाम दर्ज है , तथा आराजी नम्बर 787 कुल रकबा 4.51 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टैयर वादी के कब्जे में है । भू प्रवन्ध विभाग एवं राजस्व कर्मियों ने वादी को आवंटित भूमि जो कि वादी के गैर खातेदारी हक से दर्ज थी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बजाय उसका नाम ही राजस्व रिकोर्ड से विलोपित कर दिया गया । जिसका कोई ठोस कारण प्रतिवेदन में भी अंकित नहीं किया गया तहसीलदार भदेसर द्वारा न तो कभी धारा 14(4) के तहत कार्यवाही की गई है न ही भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के कब्जे काश्त एवं राजस्व रेकार्ड को ध्यान में रखा गया है । कालान्तर में साबिक आराजी नम्बर 637/1 रकबा 5 बीघा के उपरोक्त कायम नवीन आराजी नम्बरान 802 बिलानाम 789 बिलानाम रास्ता , 788 खातेदार मिठूसिहं की है 787 में से आ0न0 789 बिलानाम रास्ता है जो सार्वजनिक होने से नहीं दी जा सकती है शेष आराजी नम्बर 802, 787 बिलानाम सरकार है जिसका अनुतोष वादी को दिया जा सकता है तथा आराजी सांख्या 788 विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज है जिसका आंशिक भाग

Scanned by CamScanner

वादी के कब्जे काश्त होने से विपक्षी सं 3 की खातेदारी से में कमी रकबे का समायोजन बिलानाम आराजी नम्बर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड की वर्तमान उत्पन्न स्थिति व त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होने से वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित मानता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ में **वादी के गैर खातेदारी हक से दर्ज साबिक आराजी नम्बर 637/1 रकबा 05 बीघा भूमि जो कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विलोपित कर दी गई है का समायोजन साबिक कब्जे , साबिक नक्शें के मध्यनजर नवीन आराजी नम्बर नम्बर 802 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.23 हैक्टैयर आराजी नम्बर 788 रकबा 1.26 हैक्टेयर में 0.56 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 787 रकबा 4.51 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टैयर कुल रकबा 1.14 हैक्टैयर भूमि वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड गें दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है** तथा प्रतिवादी संख्या 03 की खातेदारी की आराजी नम्बर 788 रकबा 1.26 में कम किए जाने वाले रकबे 0.56 हैक्टैयर का समायोजन बिलानाम आराजी नम्बर 802 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.14 हैक्टैयर तथा आराजी नम्बर 787 रकबा 4.51 हैक्टैयर में 0.42 कुल 0.56 हैक्टैयर से किया जाने का आदेश दिया जाता है । तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शा में भी दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । प्रस्तावित नवीन नक्शा निर्णय का अगं है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास– श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

लक्ष्मण सिहं पिता मांगूसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ ,राजस्थान

.....वादी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ (राज)
3. मिठुसिहं पिता मांगूसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 170/2017

वादी की और से वकील श्री सूरपालसिहं एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार भदेसर की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 23.09.2019 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ में **वादी के गैर खातेदारी हक से दर्ज साबिक आराजी नम्बर 637/1 रकबा 05 बीघा भूमि जो कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विलोपित कर दी गई है का समायोजन साबिक कब्जे , साबिक नक्शें के मध्यनजर नवीन आराजी नम्बर नम्बर 802 रकवा 0.37 हैक्टेयर में से 0.23 हैक्टैयर आराजी नम्बर 788 रकबा 1.26 हैक्टेयर में 0.56 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 787 रकबा 4.51 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टैयर कुल रकबा 1.14 हैक्टैयर भूमि वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है** तथा प्रतिवादी संख्या 03 की खातेदारी की आराजी नम्बर 788 रकबा 1.26 में कम किए जाने वाले रकबे 0.56 हैक्टैयर का समायोजन बिलानाम आराजी नम्बर 802 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.14 हैक्टैयर तथा आराजी नम्बर 787 रकबा 4.51 हैक्टैयर में 0.42 कुल 0.56 हैक्टैयर से किया जाने का आदेश दिया जाता है । तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शा में भी दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । प्रस्तावित नवीन नक्शा निर्णय का अगं है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 21.10.2019 को डिग्री पर्चा गुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

1.

Scanned by CamScanner